ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

५

आर0ई0आर0 केश सं0– 30/19–20

देवनारायण पंडित बनाम् मु0 मुस्थपा अंसारी वगै0

–: आदेश :–

27.08.2021

वर्त्तमान वाद आवेदक देवनारायण पंडित, पे0–स्व0 मनसा पंडित, सा0–कुशबिल्ला, थाना–राजाभीठा, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–कुशबिल्ला नं0–20, जमाबंदी नं0–28, दाग नं0–583 एवं 1371, कुल रकवा–01–11–09 धूर भूमि से विपक्षी मु0 मुस्थपा अंसारी, मु0 लैला अंसारी, मु0 जाबीर अंसारी, तीनों पे0–मु0 बड़ा बसीर अंसारी, मु0 जब्बार अंसारी, पे0–स्व0 फुल मोहम्मद अंसारी, सभी सा0–कुशबिल्ला, थाना–राजाभीठा, जिला–गोड्डा को उच्छेद करने हेतु दायर किया गया है। तद्नुसार उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रासंगिक भूमि गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मोसमात दुखनी के नाम से दर्ज है। मो0 दुखनी के मृत्युपरांत कुल जमीन उनके पुत्र मनसा पंडित के दखल में था तथा मनसा पंडित के मृत्युपरांत उनका पुत्र देवनारायण पंडित दखलकार एवं बसोबास करते आ रहे हैं। विपक्षीगण का प्रासंगिक भूमि से कोई सरोकार नहीं है। वे पूर्णतया बाहरी व्यक्ति है तथा उनका आवेदक के वंसज से कोई संबंध नहीं है। प्रासंगिक भूमि विपक्षीगण धन–बल के आधार पर जबरन दखल करना चाहते हैं। विपक्षीगण प्रासंगिक भूमि हड़पने के नियत से झोपड़ी डालकर चारो ओर घेर कर निवास कर रहे हैं। आवेदक तथा विपक्षीगण न ही एक वंसज से हैं और न ही एक जाति के हैं। साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक भूमि का रसीद, पर्चा की छाया प्रति, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, दखल दिहानी का पर्चा की छाया प्रति समर्पित करते हुए प्रासंगिक भूमि से विपक्षीगण को उच्छेद करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रासंगिक वाद विपक्षीगण पर चलने योग्य नहीं है। विवादित भूमि पर विपक्षी का घर बना हुआ है, जो बहुत पुराना है। बने हुए मकान पर उच्छेद वाद नहीं चलता है। प्रासंगिक भूमि वर्ष 1965 से पंचनामा द्वारा विपक्षीगण को प्राप्त है, जिसके आधार पर विपक्षीगण प्रासंगिक भूमि पर दखलकार हैं तथा पक्का मकान बनाकर सपरिवार बसोबास कर रहे हैं। प्रासंगिक भूमि का मारफती लगान रसीद भी वर्ष 1944 से 1992 तक विपक्षीगण के दादा युसूफ मियां द्वारा दिया गया है, जिसपर प्रधान का भी हस्ताक्षर है, जिससे प्रासंगिक भूमि पर विपक्षीगण का दखल प्रमाणित होता है। साक्ष्य के रूप में पंचनामा की छाया प्रति, मारफती मालगुजारी रसीद की छाया प्रति समर्पित करते हुए आवेदक के आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, बोआरीजोर ने अपने पत्रांक–548/रा0, दिनांक–08.07.2021 के द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदित किया है कि मौजा–कुशबिल्ला नं0–20, जमाबंदी नं0–28, दाग नं0–583, रकवा–00–07–05 धूर, किस्म–धानी शोयम एवं दाग नं0–1371, रकवा–01–04–04 धूर, किस्म–धानी शोयम जमाबंदी रैयत मोसमात दुखनी, पति–स्व0 लखन पंडित के नाम से गेंजर सर्वे खतियान में दर्ज है। आवेदक जमाबंदी रैयत के पोता हैं। आवेदक का नाम हाल सर्वे पर्चा में दर्ज है, जबकि विपक्षी द्वारा सामाजिक स्तर का दानपत्र प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत दाग नं0–583 में विपक्षीगण का पुराना मकान निर्मित है, जिसपर विपक्षीगण बसोबास कर रहे हैं। इसके अलावा दाग नं0–1371 पर भी वर्त्तमान में विपक्षीगण का कब्जा है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन करने तथा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रासंगिक भू–भाग में बने हुए मकान एवं आवागमन हेतु रास्ता को छोड़कर शेष वादगत भूमि से विपक्षी को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उच्छेद किया जाता है।

अंचल अधिकारी, बोआरीजोर को आदेश दिया जाता है कि वादगत भूमि पर आवेदक को दखल दिहानी दिलाकर न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

2/10/21

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

2/10/21

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.02.03 12:52:52 +05:30
Location: 192.168.8.107